कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

....

भोपाल, दिनांक 5-2-19

//आदेश//

कमांक 381 /1231/आउशि/संबद्धता/2018–सत्र 2019–20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारम्भ करने, पूर्व संचालित पाठ्यकमों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निरन्तरता संबंधी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शेष रह गए आवेदक संस्था/समिति/कम्पनी/महाविद्यालयों के संबंध में आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए कार्यालयीन आदेश कमांक 25/08/आउशि/संबद्धता/2018 दिनांक 9.1.2019 द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2019 नियत की गई है। इस अनुकम में प्राप्त होने वाले आवेदनों तथा उनसे संबंधित कमीपूर्ति एवं रिव्यू, अपील आदि के लिए निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं:–

क.	कार्य विवरण	निर्धारित तिथि
1.	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कमी–पूर्ति पत्रक जारी करने की तिथि	05.02.2019 तक
2	कमी–पूर्ति पत्रक के अनुसार आवेदक महाविद्यालयों द्वारा आनलाइन जानकारी प्रेषण करने की तिथि	10.02.2019 तक
3	समस्त अनापत्ति निरंतरता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	15.02.2019 तक
4	आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष आनलाइन रिव्यू प्रस्तुत करने की तिथि	18.02.2019 तक
5	आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा रिव्यू प्रकरणों का निराकरण करने की तिथि	22.02.2019 तक
6	अस्वीकृत किये गये रिव्यू प्रकरणों को शासन के समक्ष आनलाईन अपील करने की तिथि	25.02.2019 तक
7	शासन द्वारा अपील पर निर्णय लेने पश्चात् पात्रतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	28.02.2019 तक
8	संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निरंतरता/संबद्धता आवेदन करने की अंतिम तिथि	10.03.2019 तक
9	संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निरंतरता/संबद्धता आवेदन करने की विलम्ब शुल्क सहित अंतिम तिथि	15.03.219 तक

2. कार्यालयीन आदेश कमांक 13/1231/आउशि/संबद्धता/18 दिनांक 8.1.2019 के संदर्भ में सत्र 2019–20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारम्भ करने, पूर्व संचालित पाठ्यकमों एवं निरन्तरता एवं रिव्यू में मान्य प्रकरणों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.2.2019 तथा विलम्ब शुल्क के साथ 50 प्रतिशत अधिक शुल्क जोडकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.2.2019 की जाती है। अपील में मान्य प्रकरणों में संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.3.2019 तथा विलम्ब शुल्क के साथ 50 प्रतिशत अधिक शुल्क जोडकर दिनांक 15.3.2019 नियत की जाती है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

5/2/19

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0कमाक 382/1231/आउशि/संबद्धता/2018 भोपाल दिनांक 5-2-19

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
4. अपर परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना (रूसा) उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड,भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
7. अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा आई.टी. सैल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

—— की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश